उत्तराखण्ड शासन
परिवहन विभाग
संख्या–775/IX/230/2007
देहरादून, दिनांक 14 नवम्बर 2007

अधिसूचना
प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2004 में अग्रेतर संशोधन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग (संशोधन) सेवा नियमावली, 2007

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग (संशोधन) सेवा नियमावली, 2007 कहलाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

मूल नियमावली के मूल नियम 13 व 15 के उपनियम (2), (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) एवं उपनियम (4) एवं (5) का प्रतिस्थापन 2. मूल नियमावली के मूल नियम 13 व 15 के उपनियम (2), (3) के खण्ड (क), (ख), (ग)) एवं उपनियम (4) एवं (5) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में उल्लिखित नियम रख दिया जायेगा अर्थात–

	स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 13	किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। प्रवर्तन सिपाही/ पर्यवेक्षक के	13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। प्रवर्तन सिपाही/ पर्यवेक्षक के पद के लिये अभ्यर्थी को ऊँचाई और सीने की माप की निम्नलिखित न्यूनतम् अपेक्षायें भी पूरी करनी चाहिए–

	पद के लिये अभ्यर्थी की ऊँचाई और सीने की माप की निम्नलिखित न्यूनतम् अपेक्षायें भी पूरी करनी चाहिए– (एक) ऊँचाई – 160 सेंटीमीटर (दो) सीना– बिना फुलाये 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर	(एक) ऊँचाई – (क) सामान्य/अनु0जाति/पिछडी जाति के अभ्यर्थियों के लिये– 160 सेंटीमीटर (ख) अनु0 जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये – 157.5 सेंटीमीटर (दो) सीना– बिना फुलाये 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर – 81.3 सेंटीमीटर परन्तु यह, कि "किसी पद पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी का वर्ण–अन्धता/भैंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना आवश्यक है। परन्तु यह भी, कि सटा घूटना, सपाट पैर, बौ–लैग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियॉ या समस्यायें, जो प्रवर्तन सिपाही की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें, को अयोग्यता माना जायेगा।"
नियम 15	(2) सीधी भर्ती के पदों के लिये चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा (स्कूटनी) करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक परीक्षण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।	(2) सीधी भर्ती के पदों के लिये चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा (स्कूटनी) करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक परीक्षण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी। शारीरिक परीक्षण परीक्षा में अभ्यर्थियों से दौड़, चिनिंग अप (बीम) अथवा लम्बी कूद, शारीरिक नाप जोख आदि परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। परीक्षाओं का निर्धारण अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाएगा।
	(3) शारीरिक परीक्षण परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चयन के लिये परीक्षा 100 अंकों की होगी। अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी। (क) (एक) वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न–पत्र होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। (दो) अभ्यर्थियों का प्रश्न–पत्र एवं	(3) (एक) शारीरिक परीक्षण परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चयन के लिए 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। छंटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी। (दो) (क) लिखित परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी और सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक दिया

उत्तर पत्र (दो प्रतियों में) दिये जाऐंगे। जब परीक्षा समाप्त होगी तो अभ्यर्थियों को अपने साथ उत्तर पत्र की कार्बन प्रति ले जाने की

(ख) अनुमति दी जाएगी।

पद के लिये विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्ताकों के प्रतिशत का 20 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को

(ग) दिया जायेगा।

छटनीशुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगें, जो अधिकतम् 15 प्रतिशत होंगें–

(एक) सेवा में प्रथम पूर्ण वर्ष के लिये पांच अंक

(दो) सेवा में दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये

(घ) प्रत्येक वर्ष के लिए पांच अंक

किसी खिलाडी को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगें, जो अधिकतम् 05 प्रतिशत होंगें–

(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाडी हो 05 अंक

(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाडी हो 04 अंक

(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाडी हो 03 अंक

(चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय / कालेज / स्कूल स्तर का खिलाडी हो 02 अंक

जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा की उत्तर–शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वैबसाईट www.ua.nic.in या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रकाशित किया जायेगा।

परन्तु, ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किये गये हों, तो लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।

(तीन) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और अन्य मूल्यांकनों, जिसमें छटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों का जोड़ होगा, के अंकों के कुल योग से, जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत

से अनधिक) होगी।

(चार) **फीस**– चयन के लिये अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(पांच) **अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक, सही उत्तरों का प्रदर्शन एवं प्रकाशन**– जब चयन प्रकिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तो चयनित अभ्यर्थी द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त किये गये अंक व अन्य मूल्यांकनों में प्राप्त अंको का कुल योग व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर, जनपद के जिला कार्यालय और सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा, छंटनी शुदा कर्मचारी के अंकों को वर्गीकृत करते हुए) अधिकतम अंक के साथ अवरोही क्रम (Descending Order) में उत्तराखण्ड की वैबसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित किये जायेंगें।

(छः) **अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण**– अभ्यर्थियों की ऐसी फीस, का जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय, भुगतान करने पर भाग 5 के अनुसार चयन समिति द्वारा की गयी चयन प्रकिया से सम्बन्धित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे तो उसे दो रूपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियॉ भी दी जायेगी।

उपनियम (4) विलुप्त कर दिया जायेगा।

उपनियम (5) विलुप्त कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(एस0 रामास्वामी)
सचिव।

संख्या–775 (1)/ix/230/2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामाग्री रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियों का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट की 100 मुद्रित प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।

संख्या–776 (2)/ix/230/2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– मंडलायुक्त गढ़वाल/कुमांऊ, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
7– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।